न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री मन मोहन मीना , आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या :- 04/2022

उनवान

1.भंवर कंवर पत्नी श्री महावीर सिंह, जाति राजपूत, उम्र–65 वर्ष, निवासी राडावास, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

प्रार्थीया

बनाम

1 मांगू सिंह पुत्र गोविन्द सिंह
2. नन्द सिंह पुत्र गोविन्द सिंह
3 अमर सिंह पुत्र मु0 बच्चन सिंह
4 चैन कंवर पुत्री मांगू सिंह
5 मोहब्बत कंवर पुत्री मांगू सिंह
6 स्वरूप कंवर पुत्री मांगू सिंह
7 सदा कंवर पत्नी विजय प्रताप सिंह
8 सूरज कंवर पत्नी अनूप सिंह
9 संग्राम सिंह पुत्र अनूप सिंह
10 प्रियंका पुत्री अनूप सिंह
11 मोनिका सिंह पुत्री अनुप सिंह
12 सुशमा पुत्री अनूप सिंह
13 शैतान सिंह पुत्र कान सिंह
14 उम्मेद सिंह पुत्र सरदार सिंह
15 रामचन्द्र सिंह पुत्र सरदार सिंह
16 संतोष पुत्री सरदार सिंह
17 गजेन्द्र सिंह पुत्र भैरूसिंह
18 विपिन सिंह पुत्र भैरूसिंह
19 बलवीर सिंह पुत्र दलीप सिंह
20 पूनम पुत्री दलीप सिंह
21 शंकर सिंह पुत्र स्व0 रामसिंह
22 जयसिंह पुत्र स्व0 रामसिंह
23 केसर पत्नी भवानी सिंह
24 शैलेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 भवानी सिंह
25 शुभम सिंह पुत्र स्व0 भवानी सिंह
26 पूजा कंवर पुत्री स्व0 भवानी सिंह
27 सदा कंवर पत्नी मांगू सिंह
28 बसन्त कंवर पुत्री स्व0 रामसिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी राडावास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

29 गुलाब देवी पत्नी महादेव बुनकर जाति बुनकर, निवासी राडावास, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।
30 गीता देवी पत्नी सीताराम जाति महाजन, निवासी राडावास, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।
31 नरेन्द्र पुत्र बनवारीलाल
32 विरेन्द्र पुत्र बनवारीलाल
33 मक्खन पुत्र बनवारीलाल
34 रेखा पुत्री बनवारीलाल
35 मन्जू देवी पुत्री बनवारीलाल

समस्त जाति मीणा, निवासीयान राडावास, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

36 राजस्थान सरकार भू धारक जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
37 उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय अमरसर, उपतहसील अमरसर, जिला जयपुर, राज0।
38 पटवारी, पटवार हल्का राडावास, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
39 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा राडावास, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

आदेश दिनांक 02/12/2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क उप धारा (1) के तहत पेश किया गया कि हमारी जोत में पहूंच के प्रयोजन के लिए खातेदारान अप्रार्थी 1 लगा0 34 के खसरा नं0 1935/1/1.10 है0 1949/0.61 है0 की जोत में नया मार्ग खोलने का ाय रखते है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की जोत–शाहपुरा उपखण्ड व ग्राम राडावास में चौमू अजीतगढ क से 500 मीटर से अधिक दूरी व राडावास बिशनगढ सडक के 500 मीटर से कम दूरी पर अवस्थित आवेदक के खसरा नम्बर 1947, 1948 श्रीमान राडावास बस स्टेण्ड से पूर्व दिशा की ओर बिशनगढ हरपुर–शाहपुरा एम.डी.आर सडक खसरा नं0 1933/0.33 है0 जिसके दक्षिण दिशा में प्रार्थीया की तेदारी भूमि खसरा नम्बर 1947/0.26, 1948/0.53 है0 किता–2 रकबा 0.79 है0 है जिनके उत्तर दिशा लगते खसरा नम्बर–1949/0.61 किता–1 रकबा 0.61 है0 प्रतिवादी सं0–31 ता 35 की खातेदारी व सरा नम्बर–1935/1 किता–1 रकबा 1.10 है0 प्रतिवादी सं0–1 लगा0 30 की खातेदारी मे दर्ज है। र्थीगण के खसरा नं0–1947 व 1948 में पहूंचने हेतु कोई भी रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा खसरा नं0 1949 1935/1 अप्रार्थीगण के अलावा आवागमन हेतु रास्ता का विकल्प मौजूद नहीं रहा है। खसरा नम्बर 949/0.61 की खातेदारी अप्रार्थी सं0–31 ता 35 के नाम दर्ज है जिसमें से रास्ता खसरा नम्बर प्रार्थीया के 948 तक पहूंच सकता है। खसरा नम्बरान–1949, 1935/1 अप्रार्थीगण की खातेदारी मे अवस्थित है, जो सरा नम्बर 1933 मुख्य सडक के खसर नं0–1935/1 लगता है तथा खसरा नम्बर 1935/1 के खसरा म्बर 1949, लगता है तथा खसरा नं0 1949 प्रार्थीया के खसरा नं0 1947 व 1948 के लगता है जिसमें सरा नम्बर 1935/1 की उत्तरी सीमा से दक्षिण की ओर लम्बाई लगभग 40 मीटर व चौडाई 9.15 मीटर खसरा नम्बर 1949 की पश्चिमी सीमा के सहारे 9.15 मीटर चौडाई में व लगभग 40 मीटर लम्बाई में र्थीया के खसरा नम्बर 1947 व 1948 तक जाने हेतु नये मार्ग की अति आवश्यकता है अतः प्रार्थना पत्र य शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदन के साथ लग्न नक्शा में लाल स्याही से चिह्नित प्रस्तावित नया मार्ग खसरा नं0 1935/1 व 1949 में अनुमानित 0 मीटर लम्बाई उत्तर दक्षिण व 9.15 मीटर चौडा पूर्व पश्चिम में खोलने की आज्ञा प्रदान करे तदानुसार जस्व रिकार्ड में प्रार्थीया को खातेदार दर्ज किया जाकर भूमि की किस्म गैर0 मू0 रास्ता दर्ज कर नक्शा में मल दरामद किये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई तथा तहसीलदार हपुरा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई । अप्रार्थीगण सं0 1 की ओर से श्री रविशंकर अग्रवल एडवोकेट ने कालतनामा पेश किया तथा शेष अप्रार्थीगण बावजूद सुचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । अप्रार्थी सं0 1 की ओर से कोई जवाब प्रार्थना पत्र श नहीं किया गया तथा प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक रास्ता दिये जाने हेतु हमति व्यक्त की ।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित थ्या को तथा अपने जवाब प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट मंगाये जाने व आपत्ति मौका रिपोर्ट में दिये गये तथ्यों ी ओर ताईद करते हुए जाहिर किया कि अप्रार्थीगण जानबूझकर झूठे तथ्य पेश करे रहे है जबकि हसीलदार शाहपुरा द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सरल व कम दूरी का होने के कारण प्रार्थीगण की जोत पहूँच हेतु रास्ता दिये जाने का निवेदन किया । वकील अप्रार्थीगण ने इसका खण्डन करते हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र व पेश किये गये आपत्ति प्रार्थना पत्रों का वर्णन करते हुए पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने तु निवेदन किया ।

हनमे उभय पक्ष की बहस पत्रावली एवं तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट की गहनता से परीक्षण करने पर पाया गया कि विचाराधीन प्रकरण में मौका रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक राडावास के द्वारा क्षकारान की मौजूदगी में तैयार की गई है जिसका अवलोकन करने पर प्रार्थीगण को तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1949 रकबा 0.61 है0 में से **46 x 9 =** 414 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 1935/1 रकबा 1.10 है0 में से **34x9 =** 306 वर्गमीटर कुल 720 वर्गमीटर भूमि तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रस्तुत मौका के रिपोर्ट संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित लाल स्याही से रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की वर्तमान में प्रचलित डीएलसी दर से भूमि की कीमत आकलन कर डीएलसी दर के अनुसार राशि प्रार्थीगण से वसूल कर नियमानुसार खातेदार /अप्रार्थीगण को भुगतान किया जाकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में सिवाय चक गै0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट निर्णय का जुज रहेगा । तहसीलदार शाहपुरा को निर्णय की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 02/12/2022 को सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान